

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक : २० अक्टूबर, २०२०

विषय:- एम०फिल० पाठ्यक्रम को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नयी शिक्षा नीति, २०२० में एम०फिल० पाठ्यक्रम को समाप्त किये जाने की गयी संस्तुति की गयी है। नयी शिक्षा नीति, २०२० में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में एम०फिल० पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र २०२१-२२ से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। २- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल०/पीएच०डी० उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रक्रिया) विनियम, २०१६ को उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-७/२०१८/२६६/७०-१-२०१८-१६(७४)२०११ दिनांक २४-८-२०१८ इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./३९३०/२०२०

दिनांक २१/१०/२०२०

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१. समस्त डीन/निदेशक/विभागाध्यक्ष, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर।
२. कुलानुशासक, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर।
३. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अग्रतर कार्यवाही हेतु अपलोड कराने का कष्ट करें।
४. निजी सचिव कुलपति, माननीया कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
५. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव